

प्रोत्तरीय अधिकारी :- श्री रवि कान्त सिंह (आर ए एस)

राजस्थान विधि अधीन संख्या 01/2021

तारीख दायरा :- 01.01.2021

तारीख निर्णय :- 11.01.2022

अपीलान्ट्स

1. श्रवणसिंह पुत्र किशोर सिंह
2. जालमसिंह पुत्र किशोर सिंह
3. इन्द्रसिंह पुत्र किशोर सिंह
4. गीतादेवी पत्नि किशोर सिंह

तमाम वयस्क, जातिगण पुरोहित, निवासी ढारिया, तहसील रानी जिला पाली
राजस्थान

बनाम

रेस्पॉन्डेन्ट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया, तहसील रानी जिला पाली

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराज.अधिनियम 1956


उपस्थित:-

1. अधिवक्ता श्री सुरेश मेहरा, अपीलान्ट संख्या 01 की ओर से।
2. रेस्पॉन्डेन्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11/01/2022

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढारिया तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 641 रकबा 1.6000 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 659 रकबा 1.4600 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.6000 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.6300 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.7500 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.5200 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.2300 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.6100 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.5400 है, किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 936 रकबा 1.2700 है, किस्म बारानी अब्बलकुल खसरा 10 कुल रकबा 8.2100 है, लगान रूपया 57.4700 कृषि भूमि अपीलान्ट्स संख्या 1,2,3 के पिता तथा 04 के पति श्री किशोर सिंह की खातेदारी एवं कब्जा-काश्त की विद्यमान है। अपीलान्ट्स के पिता व पति श्री किशोर सिंह का स्वर्गवास दिनांक 25.04.1994 को हो चुका है। अपीलान्ट्स के पिता व पति की मृत्युपरान्त अपीलान्ट्स सं. 04 गीतादेवी द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी ढारिया को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा म्यूटेशन संख्या 180/95 दिनांक 28.10.1995 को स्वीकृत कर अपीलान्ट्स 01 से 04 को उक्त आराजी का खातेदार दर्ज किया, किन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स संख्या 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह दर्ज कर दिया गया। जबकी अपीलान्ट्स की माता द्वारा प्रार्थना पत्र में सेवन से त्रुटिवश सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह लिख दिया था, जो कि त्रुटिवश हुआ है। अपीलान्ट्स का वास्तविक नाम सज्जनसिंह ही है और इसी नाम से सभी सरकारी दस्तावेज भी बनाए हुए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सेवन से सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह नाम लिख दिया है जो कि गलत है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी


अपील अपीलान्ट्स विरुद्ध रेस्पॉन्डेन्ट अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉन्डेन्ट को तलब किया गया। वकील अपीलान्ट्स द्वारा अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स सज्जनसिंह की माता अनपढ है और वह स्वयं काम (रोजगार) के कारण मुम्बई रहता है। अतः नामान्तरकरण में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। अपीलान्ट्स द्वारा कृषि ऋण के आवेदन हेतु जब राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि निकाली गई तब उन्हें यह जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड और विरासत नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह लिखा हुआ है। यह ज्ञात होने पर अपीलान्ट्स द्वारा यह नामान्तरकरण अपील दिनांक 30.12.2020 को मय प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम का पेश किया। अतः प्राःपत्र धारा 05 भा. म्याद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अन्दर म्याद शूमार फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा आगे अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम ढारिया के के खसरा नम्बर 641 रकबा 1.6000 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 659 रकबा 1.4600 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.6000 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.6300 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.7500 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.5200 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.2300 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.6100 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.5400 है, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 936 रकबा 1.2700 है, किस्म बारानी अव्वलकुल खसरा 10 कुल रकबा 8.2100 है, लगान रूपया 57.4700 कृषि भूमि अपीलान्ट्स के पिता स्वर्गीय किशोर सिंह की खातेदारी कब्जा काश्त विद्यमान है, अपीलान्ट्स के पिता, पति की मृत्यु दिनांक 25.04.1994 को हो जाने से दिनांक 28.10.1995 को विरासत नामान्तरकरण अपीलान्ट्स 01 से 04 का भरा गया। जिस में अपीलान्ट्स 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह लिख दिया गया। अपीलान्ट्स 01 रोजगार के कारण मुम्बई में निवासरत है और उनकी माता अनपढ है जिस कारण उन्हें गलतनाम दर्ज होने की जानकारी नहीं हुई। ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा बिना विधिक नोटिस दिये, बाले बाले यह नाम दर्ज किया, ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सूने एंव दस्तावेजो की जाच किये बिना ही यह नामान्तरकरण खोला गया जिससे कि अपीलान्ट्स 01 का नाम सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह लिख दिया गया। जबकी अपीलान्ट्स को सुने बिना, दस्तावेजो की जांच किये बिना, नामान्तरकरण खोलना न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट्स 01 सज्जनसिंह का सभी सरकारी दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, विद्यालय टि.सी में नाम सज्जनसिंह ही दर्ज है और यही इनका वास्तविक नाम है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से और जानकारी के अभाव में सज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह नाम दर्ज किया है जो कि विधिविरुद्ध है अतः रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 180/95 दिनांक 28.10.1995 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि श्रवणसिंह एवम् सज्जनसिंह एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिवश सज्जनसिंह का नाम श्रवणसिंह दर्ज कर दिया था जो कि गलत है।

रेस्पॉन्डेन्ट लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 09. 02.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः रेस्पॉन्डेन्ट अनुपस्थित न ही इनकी और से कोई वकील उपस्थित हुआ।

—क्रमशः पेज -3 पर.....



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राजी

बहरा सुनी गई, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा यह तथ्य दिनांक 28.12.2020 को ज्ञान में आया कि उसका नाम राजरव रिवाड़े में राज्जनसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह है तो उनके द्वारा यह अपील अन्दर म्याद (दिनांक 30.12.2020 को) पेश की गई। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भा.म.अ स्वीकार कर अपील अन्दर म्याद शूमार की जाती है।


रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा बिना विधिक कार्यवाही अपनाए और अपीलान्ट्स को सूने बिना नामान्तरकरण सं 180/95 दिनांक 28.10.1995 दर्ज किया। अपीलान्ट्स संख्या 01 के अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम राज्जनसिंह दर्ज है किन्तु नामान्तरकरण में श्रवणसिंह लिखा गया है जो कि त्रुटिवश और बिना तथ्यों की जांच के कारण लिखा गया है।

आदेश

अतः अपीलान्ट्स की यह नामान्तरकरण अपील विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारिया अन्तर्गत धारा 75 भू.रा.अ स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारिया के नामा सं 180/95 दिनांक 28.10.1995 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति, प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी से संबंधित समस्त हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य और सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नामान्तरकरण दर्ज करे। अपीलाधीन नामान्तरकरण से संबंधित दस्तावेजों का सम्यक रूप से परीक्षण किया जावे एवं संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।


11/01/22
सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी रानी
(S.D.O.) रानी

निर्णय आज दिनांक 11/01/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर एवम्
(S.D.O.) रानी